न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–6/2024
GCMS NO:- 2024/134

दायर दिनांकः 09.07.2024
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. औंकार आ0 भूरा जाति धाकड नि0 केशवनगर देई।
2. शंकर आ0 भूरा जाति धाकड नि0 केशवनगर देई।
3. सन्जया पत्नी श्री फौरूलाल जाति धाकड नि0 केशवनगर देई।
4. सुनिता पत्नी मोहनलाल जाति धाकड नि0 केशवनगर देई।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कजोडी पत्नी बुधराम जाति कोली नि0 तहसील के पास चौथ का बरवाडा जिला स0माधोपुर।
2. बुद्विप्रकाश आ0 नामालुम जाति कोली नि0 तहसील के पास चौथ का बरवाडा जिला स0माधोपुर।
3. रामबिलास आ0 धन्नालाल जाति कोली नि0 कोली मोहल्ला पुराना थाना के पास देई।
4. भूमिधारी तहसीलदार साहब नैनवॉ जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीया की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूलाल नागर।

निर्णय दिनांक 16.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम देई मे खाता संख्या 1453 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3293 रकबा 0.0890 हैक्टयर स्थित है जिसके उत्तर की ओर प्रत्यार्थीगण कजोडी की भूमि, दक्षिण की ओर आम रास्ता पक्का रोड, पूर्व की ओर खाली भूमि, पश्चिम की ओर प्रार्थीगण की स्वयं की भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थीगण सम्मिलित खातेदार कृषक की हैसियत से काबिज काश्त है जिसमे इस वर्ष सरसों व गेहूं की फसल बोयी थी।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे प्रत्यार्थीगण का कोई हक व आधिपत्य प्राप्त नही है। प्रत्यार्थीगण के मन मे बदनियति आ गई है जिसके कारण प्रत्यार्थीगण अपने परिवार के सदस्यों को व कुछ अन्य दादा लोगो को साथ मे लाकर और जबरन प्रार्थीगण की भूमि को अपनी भूमि मे मिलाना चाहते है और आये दिन मेड दोडते है, तारबन्दी करने पर आमादा हो रहे है। मना करने पर धारा 3 लगाकर जेल भिजवाने की धमकियां देते है। प्रार्थीगण ने तहसील मे भी सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु सीमाज्ञान नही किया गया जो प्रार्थना पत्र हेतु वाद कारण है। विवाद को स्थायी रूप से सुलझाने के लिए प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, शपथ पत्र, पूर्व मे तहसील कार्यालय से सीमाज्ञान हेतु दिये गए आदेश की प्रति आदि पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.5.2025 को संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया था, स्वीकार किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे प्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसील कार्यालय मे आवेदन किया गया था लेकिन सीमाज्ञान नही किया गया। पत्थरगढी बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को चलते एक वर्ष से अधिक का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल नेचर का होता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम देई मे खाता संख्या 1453 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3293 रकबा 0.0890 हैक्टयर भूमि पर यदि प्रार्थीगण का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा होने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ